न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
965 / 2024

दायर दिनांक
04.12.2024

निर्णय दिनांक
23-01-2025

1. श्री शिवराज पुत्र रामचन्द्र जाट निवासी नई ईरास तहसील व जिला भीलवाडा।

बनाम — प्रार्थी

1. राजस्थान राज्य जरिऐ तहसीलदार भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०) —— विपक्षी

उपस्थितः– 1. अधिवक्ता प्रार्थी की और से श्री कन्हैयालाल सेन।
2. विपक्षी की और से पैरोकार सरकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेन्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् रेकॉर्ड में हुई त्रुटि को दूरस्थ कराये जाने

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की राजस्व ग्राम रूपाहेली पटवार हल्का रूपाहेली भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र दान्थल तहसील भीलवाडा में आराजी नम्बर 846 रकबा 0.3920 हैक्टेयर भूमि स्थित है जो प्रार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज चली आ रही है। राजस्व रेकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम बिना किसी कारण के एवं लिपीकीय त्रुटि व मूलवश से प्रार्थी का नाम शिवराज के बजाय शिवलाल अंकित कर दिया, जबकि शिवराज को बोलचाल की भाषा मे शिवलाल कहते है किन्तु प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड, जनआधार कार्ड ड्राईविंग लाईसेंस पेन कार्ड गाडी की आर0सी० आदि सभी सरकारी दस्तावेजों में खातेदार प्रार्थी का नाम शिवराज जाट दर्ज किया हुआ है जो सही है राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी का नाम शिवलाल के बजाय शिवराज जाट किया जाने हेतू प्रार्थी ने तहसीलदार भीलवाडा के यहां व राजस्व केम्प में भी आवेदन मय दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहवान पत्र सहित अन्य सभी दस्तावेज प्रस्तुत किये किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई इसलिए प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि आराजियात में प्रार्थी का नाम शिवलाल के बजाय शिवराज जाट दर्ज किया जाने की प्रार्थना की है। प्रार्थना में वर्णित आराजियात में खातेदार प्रार्थी का नाम शिवलाल दर्ज है जबकि प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेंजो मे प्रार्थी का नाम शिवराज जाट दर्ज है, इसलिए प्रार्थी उक्त मूनि से प्राप्त होने वाली सरकारी योजनाओं किसान क्रेडिट कार्ड प्रधानमंत्री किसान योजना व अन्य सरकारी जो भी लाभ है वह नहीं उठा पा रहा है इसलिए जमाबन्दी में दर्ज प्रार्थी का नाम शिवलाल के बजाय शिवराज जाट दर्ज किया जाने की प्रार्थना की है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेन्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् रेकॉर्ड में हुई त्रुटि को दुरस्थ कराये जाने का स्वीकार किया जाकर वाकें ग्राम रूपाहेली पटवार हल्का रूपाहेली भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र दान्थल तहसील भीलवाडा में आराजी नम्बर 846 रकबा 0.3920 हैक्टेयर भूमि में खातेदार प्रार्थी का नाम शिवराज जाट दर्ज कराया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में हुई त्रुटि को दुरस्त किया जाने का आदेश प्रदान कराया जाये।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 04.12.2024 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को सम्मन जारी किये गये। प्रार्थी का आधारकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड एवं ड्राईविंग लाईसेन्स बने हुये है अर्थात् सभी पहचान के दस्तावेजात् में प्रार्थी का नाम शिवराज पुत्र रामचन्द्र जाट अंकित है एवं ग्राम पंचायत सुवाणा द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी शिवराज पुत्र श्री रामचन्द्र जाट एवं शिवलाल पुत्र रामचन्द्र जाट दोनो नाम एक ही व्यक्ति के होना बताया है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थी अधिवक्ता की बहस विपक्षी पैराकार सरकार की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजात का भलिभांति परीक्षण किया गया। प्रार्थी के सभी पते एवं पहचान के प्रमाणपत्रों में नाम शिवराज पुत्र श्री रामचन्द्र जाट अंकित है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव्

:–आदेश :–

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की स्वीकार किया जाकर प्रकार ग्राम रूपाहेली पटवार हल्का रूपाहेली भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र दान्थल तहसील भीलवाडा में आराजी नम्बर 846 रकबा 0.3920 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का नाम शिवलाल पिता रामचन्द्र जाट की बजाय शिवलाल उर्फ शिवराज पिता रामचन्द्र जाट दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भीलवाडा उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में संशोधन का इन्द्राज कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 23-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी किया गया है।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा